बिहार लोक सेवा आयोग

15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना – 800001

माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा SLP (Civil) No. 44769/2019, बिहार लोक सेवा आयोग एवं अन्य बनाम् रेणु सिंह एवं अन्य में दिनांक 07.01.2020 को पारित न्यायादेश के आलोक में वि.सं.– 15/2014 के अन्तर्गत स्वास्थ्य विभाग, बिहार के अधीन बिहार स्वास्थ्य सेवा के सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी (बेसिक ग्रेड) के पदों पर नियुक्ति के अन्तर्गत अनुक्रमांक – 150606, रेणु सिंह का परीक्षाफल

वि॰सं॰– 15/2014 के अन्तर्गत स्वास्थ्य विभाग, बिहार के अधीन बिहार स्वास्थ्य सेवा के सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी (बेसिक ग्रेड) के पदों पर नियुक्ति के अन्तर्गत सफल उम्मीदवारों की अनुशंसा स्वास्थ्य विभाग, बिहार को प्रेषित की जा चुकी है।

उक्त परीक्षाफल हेतु बनायी गयी संयुक्त मेधा सूची में अनुक्रमांक – 150606 द्वारा जन्म तिथि के सत्यापन हेतु मैट्रिक का प्रमाण पत्र मूल में प्रस्तुत कर सत्यापित नहीं कराने के कारण अनर्हित करते हुए शामिल नहीं किया गया था।

उक्त अनर्हता के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर सी॰डब्लू॰जे॰सी॰ संख्या–18033/2015, रेणु सिंह बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य को दिनांक 30.03.2016 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना के पारित न्यायादेश द्वारा खारिज कर दिया गया। उक्त पारित न्यायादेश के विरूद्ध याचिकाकर्त्ता रेणु सिंह द्वारा एल॰पी॰ए॰ संख्या–1083/2016 दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा एल॰पी॰ए॰ संख्या–1083/2016 में दिनांक 04.10.2016 को उक्त उम्मीदवार की अनुशंसा स्वास्थ्य विभाग, बिहार को भेजने का आदेश पारित किया गया।

उक्त न्यायादेश के विरूद्ध आयोग द्वारा Civil Review No. 27/2017, बिहार लोक सेवा आयोग एवं अन्य बनाम् रेणु सिंह एवं अन्य माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर किया गया जिसे माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 21.08.2019 को खारिज कर दिया गया।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 21.08.2019 को पारित आदेश के विरूद्ध आयोग द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में SLP (Civil) No. 44769/2019, बिहार लोक सेवा आयोग एवं अन्य बनाम् रेणु सिंह एवं अन्य दायर किया गया जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 07.01.2020 को निष्पादित कर दिया गया है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में स्वास्थ्य विभाग, बिहार द्वारा आयोग को अनारक्षित (01) की 01 रिक्ति उपलब्ध कराई गई है।

आयोग, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, पटना द्वारा SLP (Civil) No. 44769/2019, बिहार लोक सेवा आयोग एवं अन्य बनाम् रेणु सिंह एवं अन्य में दिनांक 07.01.2020 को पारित न्यायादेश के आलोक में स्वास्थ्य विभाग, बिहार द्वारा उपलब्ध करायी गई अनारक्षित (01) कोटि की एक रिक्ति के विरूद्ध अनुक्रमांक – 150606, रेणु सिंह को सफल घोषित करता है।

12.11.21

तिथिः 12 नवम्बर, 2021

संयुक्त सचिव–सह–परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना